



# राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय से पंचम तल, ब्लॉक-5, शिक्षा संकुल परिषद्,  
जवाहर लाल नेहरू मूर्ग, जयपुर - 17

फोन नं: 0141-2709114

email: cmsmsa2018@gmail.com

फैक्स: 0141-2701822

क्रमांक : रास्कृष्णप / जय / सामुगति / SMC-SDMC / दिशा-निर्देश / 2024-25 / 1374 दिनांक : २६/२०२४



## दिशा निर्देश (सत्र 2024-25)

PEEO (संकुल सन्दर्भ केन्द्र) / UCEEO (शहरी संकुल सन्दर्भ केन्द्र) पर एसएमसी  
/ एसडीएमसी सदस्यों के लिए आयोजित किये जाने वाले दो दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण

### प्रस्तावना :-

राज्य के समस्त राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय प्रबन्धन समिति / विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति को गठन का प्रावधान किया गया है। विद्यालय प्रबंधन समिति / विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति की साधारण सभा में सम्बन्धित विद्यालय में अध्ययनरत प्रत्येक विद्यार्थी के माता पिता / अभिभावक, प्रत्येक अध्यापक, कार्य क्षेत्र में निवास करने वाले प्रत्येक जनप्रतिनिधि सदस्य हैं। समिति के कार्य को सुचारू रूप से घलाने के लिए साधारण सभा के सदस्यों में से 16 सदस्यीय विद्यालय प्रबन्धन समिति एवं 23 सदस्यीय विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति का गठन किया जाता है। गठित समितियों के सदस्यों में जागरूकता उत्पन्न करना तथा उनमें क्षमता विकास करना आवश्यक है ताकि वे विद्यालय प्रबंधन में अपनी अपेक्षित भूमिका का निर्वहन कर सकें। ग्रामीण क्षेत्रों व शहरी क्षेत्रों के संकुल सन्दर्भ केन्द्रों पर विद्यालय प्रबंधन समिति / विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किये जाने हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के Task No. 198 अनुसार Social Issue and Stigmas पर प्रधानाचार्य, परामर्शदाता और विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाया जाये जिससे मुख्य धारा से अलग-अलग एवं विचित वर्ग को मुख्य धारा में शामिल किया जाना है। उक्त उद्देश्य हेतु प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है।

वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट वर्ष 2024-25 संकुल सन्दर्भ केन्द्र (CRC) PEEO (ग्रामीण क्षेत्र) / UCEEO (शहरी क्षेत्र) पर एसएमसी / एसडीएमसी सदस्यों को दो दिवसीय गैर आवासीय

Signature valid

| RajKaj Ref  
7517104



Digital signed by Suresh Kumar  
Bunker  
Designation : Additional State Project  
Director  
Date: 2024.06.04 20:17:06 IST  
Reason: Approved

प्रशिक्षण देने का प्रावधान किया गया है। इस प्रशिक्षण के मुख्य उद्देश्यों में विद्यालय प्रबंधन समिति/विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति के सदस्यों को उनके दायित्वों, शिक्षा के अधिकार एकट के प्रावधानों, सभग्र शिक्षा की विभिन्न गतिविधियों, मिड-डे-मील, बाल अधिकारों, बालसभा, हरित पाठशाला कार्यक्रम, अक्षय पेटिका, समावेशी शिक्षा (विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिका), वैकल्पिक शिक्षा व औपचारिक शिक्षा (आप आउट बालक-बालिका), स्वैच्छिक जनुदान, "बेटी बचाओ—बेटी पढ़ाओ" कार्यक्रम, विद्यालय में बच्चों की सुरक्षा, स्वच्छ भारत मिशन, विद्यालय स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र, विद्यालय में संघारित लेखों का सामाजिक अकेक्षण, आपदा प्रबंधन आदि के बारे में जानकारी देना, विद्यालय के प्रति अपनत्व की भावना विकसित करना, विद्यार्थियों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना, जैण्डर से सम्बन्धित विषयों पर संवेदनशील माहील तैयार करना, विद्यालय स्तर पर योजना निर्माण एवं क्रियान्वित करना एवं विद्यालय विकास में जनसाधारण की सहभागिता प्राप्त करना आदि सम्मिलित हैं। कार्यकारिणी समिति के ऐसे सदस्य जिन्होंने वर्ष 2023-24 तथा इससे पूर्व में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है को प्राथमिकता देते हुए एसएमसी/एसडीएमसी की कार्यकारिणी समिति के 5 सदस्यों तथा एक जनप्रतिनिधि को शामिल करते हुए प्रत्येक एसएमसी/एसडीएमसी में से चयनित 6 सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाना है।

1- वर्ष 2024-25 में विद्यालय प्रबंधन समिति/विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति के प्रशिक्षण हेतु निम्नानुसार लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं-

क्र. सं.	गतिविधि	यूनिट कॉस्ट (प्रति व्यक्ति प्रति दिवस)	(रुपये लाख में)	
			भौतिक	वित्तीय
1	PEEO/UCEEEO पर दो दिवसीय एसएमसी गैर आवासीय प्रशिक्षण— संभागी * दिन * दर प्रतिदिन $311862 \times 2 \times 250 = 1559.310$ लाख रुपये	0.00250	311862	1559.310
2	PEEO/UCEEEO पर दो दिवसीय एसडीएमसी गैर आवासीय प्रशिक्षण— संभागी * दिन * दर प्रतिदिन $104544 \times 2 \times 250 = 522.72$ लाख रुपये	0.00250	104544	522.72
	कुल	0.00250	416406	2082.03

Signature valid

2 RajKaj Ref  
7517104

Digitally signed by Surendra Kumar Bunker  
Designation : Additional State Project Director  
Date: 2024.06.04 10:17:06 IST  
Reason: Approved

**2- प्रशिक्षण मॉड्यूल :** विद्यालय प्रबंधन समिति/विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति के सदस्यों को राज्य स्तर पर तैयार किये गये "विद्यालय प्रबंधन समिति/विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति प्रशिक्षण मॉड्यूल" के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाना है।

**3- राज्य स्तर पर मुख्य संदर्भ व्यक्तियों (केआरपी) के प्रशिक्षण :**

प्रत्येक जिले से 5 मुख्य संदर्भ व्यक्तियों (केआरपी) को राज्य स्तर पर एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया जायेगा। जिन जिलों में दस से अधिक ब्लॉक हैं वहाँ से 6 मुख्य संदर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जायेगा। मुख्य संदर्भ व्यक्तियों के रूप में, पूर्व के वर्षों में मुख्य संदर्भ व्यक्ति का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके शिक्षक, डाइट फैब्रल्टी, ब्लॉक आरपी या प्रशिक्षण में दक्षता रखने वाले जिले के शिक्षा अधिकारी/शिक्षक आदि में से नामित किया जा सकता है। जिला परियोजना कार्यालय द्वारा प्रशिक्षण कार्य में लूपि रखने वाले सदान एवं दक्ष प्रशिक्षकों को घयनित कर राज्य स्तरीय प्रशिक्षण में भिजवाया जाना है। प्रशिक्षित मुख्य संदर्भ व्यक्तियों द्वारा ब्लॉक स्तर पर संदर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। राज्य स्तर पर प्रशिक्षण के लिए आने वाले मुख्य संदर्भ व्यक्तियों को नियमानुसार टीए/डीए अपने जिले के अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय के MMMER मद से देय होगा।

**4- ब्लॉक स्तर पर संदर्भ व्यक्तियों के प्रशिक्षण :**

राज्य स्तर पर केआरपी प्रशिक्षण उपरान्त PEEO (संकुल सन्दर्भ केन्द्र)/UCEEO (शहरी संकुल संदर्भ केन्द्र) पर एसएमसी/एसडीएमसी सदस्यों को प्रशिक्षित करने के लिए संदर्भ व्यक्तियों का प्रशिक्षण ब्लॉक स्तर पर आयोजित किया जायेगा। संदर्भ व्यक्ति के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण कार्य में लूपि, अनुभव एवं दक्षता रखने वाले ब्लॉक के 20 शिक्षक/संस्था प्रधानों को समिलित किया जायेगा। संदर्भ व्यक्ति के रूप में आमत्रित किये जाने वाले PEEO/Head Teacher/UCEEO प्रभारी के अलावा शेष सभी PEEO/UCEEO/उनके द्वारा नामित Head Teacher/गतिविधि इन्चार्ज को भी प्रशिक्षण में समिलित किया जायेगा ताकि विद्यालय स्तर पर प्रशिक्षण के समय वे प्रशिक्षण की मॉनिटरिंग एवं प्रबंधन सही प्रकार से कर सकें एवं आवश्यकता पड़ने पर संदर्भ व्यक्ति का उत्तरदायित्व भी निभा सकें। प्रशिक्षण के उपरान्त प्रत्येक ब्लॉक कार्यालय द्वारा इन विनिहित 20 संदर्भ व्यक्तियों की सूची अतिरिक्त जिला परियोजना कार्यालय को उपलब्ध करवाई जानी है। जिला कार्यालय ब्लॉक कार्यालय के साथ

समन्वय स्थापित करते हुए निर्देशन सूची में से PEEO/UCEEEO प्रभारी प्रशिक्षण के लिए आवश्यकतानुसार संदर्भ व्यक्ति लगाये।

ब्लॉक संस्था प्रधानों/संदर्भ व्यक्तियों के लिए ब्लॉक स्तर पर आयोज्य प्रशिक्षण का व्यय प्रशिक्षण शास्त्र द्वारा जारी निर्देशानुसार किया जाए। यह व्यय विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी समिति सदस्यों के PEEO (संकुल संदर्भ केन्द्र)/UCEEEO (शहरी संकुल संदर्भ केन्द्र) पर आयोज्य दो दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण के लिए वर्ष 2024-25 में निर्धारित बजट में से किया जायेगा। संकुल संदर्भ स्तरीय प्रशिक्षण में संदर्भ व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए अलग से बजट प्रावधान नहीं है।

अतः प्रति व्यक्ति कुल दो दिवस हेतु 500/- रुपये यूनिट कॉस्ट में से 40- रुपये यूनिट कॉस्ट का आवश्यकतानुसार व्यय संदर्भ व्यक्तियों के प्रशिक्षण में किया जाये तथा विद्यालय प्रबंधन समिति कार्यकारिणी समिति सदस्यों के प्रशिक्षण हेतु जिले को आवंटित भौतिक लक्ष्य के अनुसार प्रशिक्षण कार्ययोजना तैयार कर प्रति संभागी दो दिवस का 460/- रुपये व्यय किया जाये। जिला परियोजना कार्यालय इस बात का ध्यान रखे कि एसएमसी/एसडीएमसी प्रशिक्षण के लिए जिले को आवंटित बजट से अधिक किसी भी स्थिति में व्यय नहीं किया जाये अन्यथा राम्बन्धित से व्यक्तिगत वसूली की जायेगी।

#### **5- जिला स्तर पर समीक्षा बैठक :**

ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण से पूर्व जिला स्तर पर एक समीक्षा बैठक आयोजित कर ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को विद्यालय प्रबंधन समिति/विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति प्रशिक्षण मॉड्यूल एवं सामुदायिक गतिशीलता कार्यक्रम के अन्तर्गत आयोजित किये जाने वाले समस्त गतिविधियों के दिशा निर्देशों की विस्तृत जानकारी दी जाये ताकि ब्लॉक स्तर पर एवं PEEO (संकुल संदर्भ केन्द्र)/UCEEEO (शहरी संकुल संदर्भ केन्द्र) पर आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण में वे अपना सकारात्मक एवं प्रभावी योगदान दे सकें। समीक्षा बैठक में ब्लॉक स्तर पर आयोजित किये जाने वाले संदर्भ व्यक्तियों के प्रशिक्षण की कार्ययोजना भी निम्न प्रपत्र में तैयार करें इसमें राज्य स्तर से प्रशिक्षित मुख्य संदर्भ व्यक्ति को भी आमंत्रित किया जाये। कार्ययोजना की एक प्रति ब्लॉक कार्यालय को दी जाये तथा एक प्रति परिषद कार्यालय को भी प्रेषित की जाये। राज्य स्तरीय प्रशिक्षण के पश्चात् 10 दिनों के अन्दर ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण पूर्ण कर जायेगा।

लिये जाये। ब्लॉक कार्यालय द्वारा संदर्भ व्यक्तियों / PEEO / UCEEO को प्रशिक्षण के दिनांक की सूचना समय पर दी जाये।

### ब्लॉक स्तरीय संदर्भ व्यक्ति प्रशिक्षण कार्ययोजना

जिले का नाम : .....

क्र.सं.	ब्लॉक का नाम	ब्लॉक पर प्रशिक्षण की दिनांक	प्रशिक्षण हेतु नियुक्त केआरपी का नाम

#### 6- PEEO/UCEEO पर संदर्भ व्यक्तियों की नियुक्ति :

जिला परियोजना कार्यालय द्वारा एक ब्लॉक कार्यालय के साथ समन्वय से प्रत्येक PEEO (संकुल संदर्भ केन्द्र) / UCEEO (शहरी संकुल संदर्भ केन्द्र) पर प्रशिक्षण हेतु संदर्भ व्यक्तियों की नियुक्ति की जायेगी परन्तु नियुक्त संदर्भ व्यक्ति के किसी कारण से अनुपस्थित रहने पर दैकल्पिक व्यवस्था के लिए ब्लॉक कार्यालय से तत्काल आरक्षित संदर्भ व्यक्ति को नियुक्त किया जायेगा ताकि प्रशिक्षण में किसी प्रकार का व्यवधान न हो। PEEO / UCEEO पर 30 से कम समागमियों के होने पर एक संदर्भ व्यक्ति तथा 30 या 30 से अधिक समागमियों के होने पर दो संदर्भ व्यक्तियों को लगाया जाये। लेकिन एक बैच में 30 से अधिक समागमी ना हो। इससे अधिक समागमी होने पर पृथक बैच बनाया जाये।

- प्रशिक्षण रथल पर पदस्थापित PEEO / UCEEO अथवा उनके द्वारा नामित Head Teacher / गतिविधि इन्चार्ज को प्रशिक्षण ने दूसरे संदर्भ व्यक्ति के रूप में कार्य करने पर पृथक से मानदेय का प्रावधान नहीं है।

#### 7. भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निर्धारण :-

- जिले के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य परिशिष्ट-1 पर संलग्न हैं।
- चूंकि, प्रत्येक PEEO / UCEEO पर प्रशिक्षण में भाग लेने वाले विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों की संख्या समान नहीं है इसलिए जिला कार्यालय द्वारा वित्तीय प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए PEEO / UCEEO विद्यालयवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किये जाये।

**Signature valid**

5 RajKaj Ref  
7517104

Digitally signed by Suresh Kumar  
Bunker  
Designation : Additional State Project  
Director  
Date: 2024.06.04 20:17:06 IST  
Reason: Approved

8. ब्लॉक कार्यक्रम प्रभारी द्वारा PEEO / UCEEEO के साथ एक बैठक आयोजित करते हुए प्रशिक्षण हेतु निम्न प्रपत्र में योजना का निर्माण करें :—

### एसएमसी/एसडीएमसी प्रशिक्षण कार्य योजना

**जिले का नाम :-**

क्र. सं.	ब्लॉक का नाम	PEEO / UCEEEO का नाम	PEEO / UCEEEO के अधीन गयी, उपचाली और Composite सिवालयों की एसडीएमसी की संख्या	PEEO / UCEEEO का भौतिक लक्ष्य					PEEO / UCEEEO के लिये वित्तीय लक्ष्य	PEEO / UCEEEO पर प्रशिक्षण की दिनांक	
				S	D	M	C	S			
				प्रा/उपचाली प्रशिक्षण में भाग ले रहे SMC के कार्यकारिणी के सदस्य (प्रति विद्यालय 5)	जुने हुए जन प्रतिनिधि (PRI) जो विद्यालय प्रबन्धन समिति के सदस्य हो (प्रति विद्यालय 5)	PEEO / UCEEEO पर कुल SMC गंभारी	Composite School प्रशिक्षण में शाम ले रहे SDMC के कार्यकारिणी के सदस्य (प्रति विद्यालय 5)	जुने हुए जन प्रतिनिधि (PRI) जो विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति के सदस्य हो (प्रति विद्यालय 5)	PEEO / UCEEEO पर कुल SMC सदस्यों की संख्या × कमाले 460	SDMC सदस्यों की संख्या × कमाले 460	S D M C

### हस्ताक्षर

- बिन्दु संख्या 8 के अनुसार जिला स्तर से कार्ययोजना के निर्धारण के बाद चरणबद्ध तरीके से PEEO / UCEEEO पर दो दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण सितम्बर-अक्टूबर 2024 के मध्य आयोजित किये जायेंगे।
- PEEO / UCEEEO पर प्रशिक्षण एक साथ आयोजित न करके चरणों में आयोजित किया जाये ताकि सघन एवं सुगम मॉनिटरिंग की जा सके। प्रशिक्षण के समस्त चरण अक्टूबर, 2024 के प्रथम सप्ताह तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लिये जाये।
- प्रत्येक जिले द्वारा PEEO / UCEEEO पर आयोजित की जाने वाली प्रशिक्षण की कार्य योजना निर्धारित प्रपत्र में प्रशिक्षण प्रारम्भ होने से कम से कम 10 दिवस पूर्व परिषद मुख्यालय को आवश्यक रूप से उपलब्ध करायी जाये।

**Signature valid**

6 RajKaj Ref  
7517104

Digitally signed by Suresh Kumar Bunker  
Designation : Additional State Project Director  
Date: 2024.06.04 05:17:06 IST  
Reason: Approved

- कार्यकारिणी समिति के 5 सदस्यों एवं एक जनप्रतिनिधि को मिलाकर कुल 6 सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाना है। यदि किसी विद्यालय परिषेन्ट के जनप्रतिनिधि अन्य किसी विद्यालय के एसएमसी/एसडीएमसी सदस्य के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त कर लेते हैं और उस विद्यालय के एसएमसी/एसडीएमसी में अन्य कोई जनप्रतिनिधि सदस्य उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उनके स्थान पर कार्यकारिणी समिति के ही एक अतिरिक्त सदस्य को जोड़कर 6 सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाये।
- समस्त एसएमसी/एसडीएमसी प्रशिक्षणों का वित्तीय समायोजन एसएमसी व एसडीएमसी के प्रशिक्षण मद में से समाप्ति के 15 दिवस के अन्दर आवश्यक रूप से कर दिया जाये। किसी भी स्थिति में समायोजन को लम्बित नहीं रखा जाये।
- समय-समय पर विद्यालय प्रबंधन समिति/विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी समिति के कुछ सदस्यों की कार्यकारिणी समिति से सदस्यता का समाप्त होना कई कारणों से संभावित है। जैसे — विद्यार्थी का अन्तिम कक्ष पास करके निकल जाना, विद्यार्थियों का छोप-आउट हो जाना, विद्यार्थियों का विद्यालय परिवर्तन कर लेना, अभिभावक का स्थान का छोप-आउट हो जाना, विद्यार्थियों का विद्यालय परिवर्तन कर लेना, अभिभावक का स्थान परिवर्तन हो जाने के कारण विद्यार्थियों का विद्यालय छोड़ देना आदि। इसलिए प्रशिक्षण से पूर्व यह अति आवश्यक है कि विद्यालय प्रबंधन समिति की साधारण सभा की बैठक दुलाकर रिक्त हुए पदों को विद्यालय प्रबंधन समिति/विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति का पुनर्गठन कर भरा जाये तथा नव निर्वाचित सदस्यों को भी प्रशिक्षण में सम्मिलित किया जाये।

#### जिला परियोजना कार्यालय के दायित्व :

- प्रशिक्षण की टाईम लाइन चार्ट में निर्धारित समयावधि में प्रशिक्षण सम्पन्न करना।
- ब्लॉक रतर पर संदर्भ व्यक्तियों के प्रशिक्षण कार्ययोजना प्रशिक्षण प्रारम्भ होने से 3 दिवस पूर्व एवं PEEO/UCEEEO पर एसएमसी/एसडीएमसी सदस्यों के प्रशिक्षण कार्ययोजना प्रशिक्षण प्रारम्भ होने से 5 दिवस पूर्व परिषद को उपलब्ध कराना।
- निर्धारित तिथियों पर प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु स्वीकृति, आवश्यक राशि एवं दिशा निर्देश समय रहते PEEO/UCEEEO तक पहुँचाना सुनिश्चित करना।
- विद्यालयों की सख्त्या के आधार पर ब्लॉकवार वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित करना।

Signature valid

7 RajKaj Ref  
7517104

Digitally signed by Suresh Kumar  
Bunker  
Designation : Additional State Project  
Director  
Date: 2024.06.04 00:17:06 IST  
Reason: Approved

- प्रशिक्षण हेतु PEEO / UCEEO द्वारा निर्धारित लक्ष्य अनुसार राशि जारी करना तथा प्रशिक्षण समाप्ति के उपरान्त वांछित उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करना।
  - जिला कार्यालय द्वारा प्रशिक्षण हेतु राशि ब्लॉक के माध्यम से PEEO / UCEEO को SNA limit जारी की जायेगी।
  - PEEO / UCEEO केन्द्र पर प्रशिक्षण में होने वाले व्यय का निर्धारण संभागियों की संख्या 30 मानकर किया गया है। परन्तु इस संख्या में सकुल संदर्भ केन्द्र / शहरी सकुल संदर्भ केन्द्रवार परिवर्तन सम्भावित है। अतः संभागियों की संख्या 30 से अधिक होने पर निर्धारित मानदण्डानुसार राशि कम होने की स्थिति में जिला कार्यालय द्वारा बघत वाले PEEO / UCEEO से राशि कमी वाले PEEO / UCEEO पर दी जा सकती है परन्तु जिले का प्रति व्यक्ति औसत व्यय निर्धारित राशि से अधिक नहीं होना चाहिए।
  - संदर्भ व्यक्ति प्रशिक्षण एवं एसएमसी / एसडीएमसी प्रशिक्षण का अनिवार्य रूप से जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा अबलोकन सुनिश्चित करना।
  - उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं कार्यालय से संभागियों के रजिस्ट्रेशन पत्र / उपस्थिति पंजिका प्रशिक्षण प्रतिवेदन और ब्लॉक कार्यालय के अधिकारियों / कार्मिकों की अबलोकन रिपोर्ट और संदर्भ व्यक्ति द्वारा प्रमाणित उपस्थिति, फोटो आदि की प्राप्ति के प्रमाण पत्र के आधार पर भुगतान सुनिश्चित करें।
  - भुगतान किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि आमंत्रित सदस्य निश्चल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 के प्रावधान अनुसार गठित विद्यालय प्रबंधन समिति / विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति के कार्यकारिणी समिति के सदस्यों में प्राप्त नहीं किये हुए सदस्यों को प्राथमिकता दी जाये। यह भी सुनिश्चित करें कि प्रशिक्षण में वर्ष 2023-24 तथा पूर्व वर्षों में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किये हुए सदस्यों को प्राथमिकता दी जाये।
  - प्रशिक्षण समाप्ति पश्चात् 10 दिवस में निर्धारित प्रपत्रों में सूचनायें प्रतिवेदन एवं फोटो परिषद मुख्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
  - प्रशिक्षण का भुगतान, विद्यालयदार प्रशिक्षण में भाग लेने वाले एसएमसी / एसडीएमसी सदस्यों की संख्या के अनुपात में ही किया जाये।

Signature valid

8 RajKaj Ref  
7517104

Digitally signed by Suresh Kumar  
Bunker  
Designation: Additional State Project  
Director  
Date: 2024.06.04 17:06 IST  
Reason: Approved

PEEO/UCEEEO दो दिवसीय गैर आवासीय एसएमसी/एसडीएमसी प्रशिक्षण सूचना

प्रपत्र-अ

जिला :-

क्र.सं.	गतिविधि का नाम एसएमसी सदस्यों के PEEO/UCEEEO पर दो दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण	ब्लॉक का नाम	लक्ष्य		उपलब्धि	
			भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	योग					

हस्ताक्षर

जिला :-

क्र.सं.	गतिविधि का नाम एसडीएमसी सदस्यों के PEEO/UCEEEO पर दो दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण	ब्लॉक का नाम	लक्ष्य		उपलब्धि	
			भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	योग					

हस्ताक्षर

जिला :-

क्र.सं.	ब्लॉक का नाम एसएमसी प्रशिक्षण में उपस्थित जन प्रतिनिधियों की संख्या	प्रशिक्षण में उपस्थित एचएम/ सदस्य शिक्षक एवं पुरस्कृत शिक्षक/शिक्षा सामग्री की संख्या	प्रशिक्षण में उपस्थित कार्यकारिणी के अधिभावक सदस्यों की संख्या	कुल (4+5+6)	संभागियों का वर्गीकरण विवरण						कुल						
					सामाजिक	ओर्डरी	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	योग																

हस्ताक्षर

Signature valid

RajKaj Ref  
7517104

Digitally signed by Suresh Kumar Bunker  
Designation : Additional State Project Director  
Date: 2024.06.04 10:17:06 IST  
Reason: Approved

प्रपत्र-द

जिला :-

क्र. सं.	ब्लॉक का नाम	एसडीएमसी प्रशिक्षण में प्रशिक्षण में उपस्थिति जन प्रतिनिधियों की संख्या	प्रशिक्षण में उपस्थिति एवं सदस्य संवाद एवं पुरस्कृत शिक्षक / शिक्षा शास्त्री की संख्या	प्रशिक्षण में उपस्थिति कार्यकारिणी के अनिवार्य सदस्यों की संख्या	कुल (4+5+6)	सभागीयों का वर्गीकरण विवरण				कुल							
						सामान्य	ओर्बीटी	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	सामान्य	ओर्बीटी	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
	योग																

हस्ताक्षर

एसएमसी प्रशिक्षण में भाग लेने वाले जनप्रतिनिधियों का वर्गीकरण

प्रपत्र - 1

जिला :-

क्र. सं.	ब्लॉक का नाम	प्रशिक्षण में आमंत्रित जनप्रतिनिधियों की संख्या	उपस्थिति जन प्रतिनिधियों की संख्या	उपस्थित जनप्रतिनिधियों का वर्गीकरण						कुल	
				जिला पार्वद	नगर पार्वद	पंचायत समिति	सरपंच	वार्डपंच	अन्य जनप्रतिनिधि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											

नोट :- प्रपत्र-स के कॉलम सं 4 में दर्शाये जनप्रतिनिधियों की संख्या का प्रपत्र-1 में वर्गीकरण कराया गया है।

हस्ताक्षर

एसडीएमसी प्रशिक्षण में भाग लेने वाले जनप्रतिनिधियों का वर्गीकरण

प्रपत्र - 2

क्र. सं.	ब्लॉक का नाम	प्रशिक्षण में आमंत्रित जनप्रतिनिधियों की संख्या	उपस्थिति जन प्रतिनिधियों की संख्या	उपस्थित जनप्रतिनिधियों का वर्गीकरण						कुल	
				जिला पार्वद	नगर पार्वद	पंचायत समिति	सरपंच	वार्डपंच	अन्य जनप्रतिनिधि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											

नोट :- प्रपत्र-द के कॉलम सं 4 में दर्शाये जनप्रतिनिधियों की संख्या का प्रपत्र-2 में वर्गीकरण कराया गया है।

हस्ताक्षर

Signature valid

10 RajKaj Ref  
7517104

Digitally signed by Sunesh Kumar  
Bunker  
Designation : Additional State Project  
Director  
Date: 2024.06.04 10:17:06 IST  
Reason: Approved

एसएमसी प्रशिक्षण में भाग लेने वाले संभागियों का वर्गीकरण

प्रपत्र - 3

जिला :-

क्र.सं.	ब्लॉक का नाम	प्रशिक्षण में उपस्थित कुल एसएमसी संभागी	साक्षर संभागियों की संख्या		निरक्षर संभागियों की संख्या		योग	
			पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
1	2	3	4	5	6	7	8	9

हस्ताक्षर

एसडीएमसी प्रशिक्षण में भाग लेने वाले संभागियों का वर्गीकरण

प्रपत्र - 4

जिला :-

क्र.सं.	ब्लॉक का नाम	प्रशिक्षण में उपस्थित कुल एसडीएमसी संभागी	साक्षर संभागियों की संख्या		निरक्षर संभागियों की संख्या		योग	
			पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
1	2	3	4	5	6	7	8	9

हस्ताक्षर

सीबीईओ के दायित्व :

ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण आयोजन पूर्व मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (सीबीईओ) निम्न तैयारियों की कार्यक्रम प्रभारी के माध्यम से समीक्षा करें :-

- संदर्भ व्यक्ति प्रशिक्षण की सूचना संभागियों को समय पर देना, प्रशिक्षण के लिए आवश्यक व्यवस्थायें एवं मॉनिटरिंग सुनिश्चित करना।
- प्रशिक्षण उपरान्त चयनित न्यूनतम 30 संदर्भ व्यक्तियों की सूची जिला परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराना।
- PEEO / UCEEEO पर आयोज्य एसएमसी / एसडीएमसी प्रशिक्षण की कार्ययोजना समय रहते तैयार करके जिला कार्यालय को उपलब्ध कराना।
- जिला कार्यालय के साथ समन्वय करके PEEO / UCEEEO द्वारा संदर्भ व्यक्तियों की नियुक्ति करना।

Signature valid

|| RajKaj Ref  
7517104

Digitally signed by Suresh Kumar  
Bunker  
Designation : Additional State Project  
Director  
Date: 2024.06.04 00:17:06 IST  
Reason: Approved

- निर्धारित तिथियों पर प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु दिशा निर्देशों की PEEO / UCEEO तक पूर्वव सुनिश्चित करना।
- PEEO / UCEEO को जिले से प्राप्त प्रशिक्षण बजट की सिमेट जारी करना।
- ब्लॉक कार्यक्रम प्रभारी द्वारा (संदर्भ व्यक्ति) स्वयं एवं ब्लॉक के अन्य संदर्भ व्यक्तियों एवं अधिकारियों की अवलोकन कार्य योजना तैयार करना तथा तदनुसार प्रशिक्षण का अवलोकन करना।
- प्रशिक्षण अवलोकन के दौरान उपस्थिति पंजिका में सदस्यों की उपस्थिति प्रमाणित करना।
- प्रत्येक प्रशिक्षण का अवलोकन करना, संभागियों की उपस्थिति के प्रमाणीकरण के समय सुनिश्चित करना कि प्रशिक्षण में भाग लेने वाले संभागी विद्यालय प्रबंधन समिति / विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति की कार्यकारणी समिति के ही सदस्य हो तथा यह भी सुनिश्चित करें कि वर्ष 2023–24 तथा पूर्व वर्षों में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किये हुए सदस्यों को प्राथमिकता दी गई है।
- संदर्भ व्यक्ति द्वारा प्रशिक्षण समाप्ति के उपरान्त 10 दिन वाले अन्दर प्रशिक्षण के फोटोग्राफ्स विद्यालयवार प्रशिक्षण में भाग लेने वाले विद्यालय प्रबंधन समिति / विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति के सदस्यों की संख्या, प्रशिक्षण प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र में सूचना एवं फोटोग्राफ्स आवश्यक रूप से जिला कार्यालय को प्रेषित करना।
- जिला कार्यालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र (U.C.) एवं आवश्यक प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना।

#### PEEO / UCEEO प्रभारी / संस्थाप्रधान के दायित्व :-

- जिला परियोजना / सीबीईओ कार्यालय के अधिकारियों के निर्देशानुसार प्रशिक्षण की कार्य योजना तैयार करना।
- वर्ष 2023–24 तथा पूर्व वर्षों में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किये कार्यकारणी के सदस्यों को प्राथमिकता देते हुए कार्यकारणी सदस्यों में से 5 सदस्यों एवं एक जनप्रतिनिधि को छिन्हित कर उनकी प्रशिक्षण स्थल पर उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु उपने कार्यक्षेत्र के सभी संस्था प्रधानों को निर्देशित करना।

Signature valid

12 RajKaj Ref  
7517104

Digitally signed by Suresh Kumar  
Bunker  
Designation : Additional State Project  
Director  
Date: 2024.06.04 00:17:06 IST  
Reason: Approved

- अधीनस्थ प्रधानाध्यापक PEEO/UCEEEO से समन्वय करते हुए चिन्हित/घणित एसएमसी/एसडीएमसी सदस्यों एवं युने हुए जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षण की तिथि एवं स्थान की सूचना लिखित में/उचित माध्यम से, कम से कम प्रशिक्षण से 5 दिन पूर्व देना सुनिश्चित करें।
- प्रशिक्षण में विद्यालय प्रबंधन समिति/विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति के सभी श्रेणी के सदस्यों यथा—महिलाओं, अनुजाति, अनुजनजाति, अल्पसंख्यकों, शिक्षा से वचित विशेष वर्ग आदि को प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों को समरत संस्थाप्रधान PEEO/UCEEEO पर होने वाले प्रशिक्षण में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
- प्रशिक्षण में भाग लेने वाले प्रत्येक एसएमसी/एसडीएमसी सदस्य एवं जनप्रतिनिधियों का पंजीकरण प्रपत्र संभारित करना।
- प्रशिक्षण हेतु आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करना एवं प्रशिक्षण पूर्व प्रशिक्षण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- प्रशिक्षण के दौरान पूरे समय संभागियों की उपरिधि सुनिश्चित करना।
- PEEO/UCEEEO प्रशिक्षण की दिनांक पर नामित Head Teacher/ गतिविधि इन्वार्ज की उपस्थिति अनिवार्य है एवं आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण में संदर्भ व्यक्ति की भूमिका का निर्वाह करना।
- प्रशिक्षण से संबंधित अभिलेखों का संधारण करना यथा—यिल वाउचर, कैश बुक, उपस्थिति पंजिका, प्रतिवेदन, फोटो एवं निर्धारित प्रपत्र में सूचना संकलन आदि।
- विद्यालय प्रबंधन समिति/विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति के प्रशिक्षण मॉड्यूल के आधार पर प्रशिक्षण आयोजित करवाना।
- प्रशिक्षण मॉड्यूल को विद्यालय रिकार्ड में सुरक्षित रखना ताकि आवश्यकता पड़ने पर एसएमसी/एसडीएमसी सदस्यों द्वारा मॉड्यूल में दी गई जानकारी का उपयोग किया जा सकें।

- प्रशिक्षण हेतु आवश्यक व्यय यथा—चाय—नाश्ता, प्रशिक्षण सामग्री, संदर्भ व्यक्तियों को मानदेय, संभागियों का वास्तविक किराया, प्रशिक्षण आयोजन हेतु बैठक व्यवस्था, फोटोग्राफ आदि पर निर्धारित राशि से अधिक व्यय किसी भी स्थिति में नहीं करना है।
- प्रशिक्षण समाप्ति के 3 दिवस में निर्धारित प्रपत्रों में सूचनाएं, प्रतिवेदन मय फोटोग्राफ एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं आवश्यक प्रमाण—पत्र सीबीईओ कार्यालय को भिजवाना।
- PEEO / UCEEO या उनके द्वारा मनोनीत अध्यापक ही व्यवस्थापक का कार्य करेंगे।

#### व्यय प्रावधान :-

विद्यालय प्रबंधन समिति/विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति सदस्यों के दो दिवसीय प्रशिक्षण हेतु प्रावधित राशि 500/- रुपये प्रति व्यक्ति दो दिवस में से PEEO / UCEEO पर आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण हेतु राशि 400/- रुपये प्रति व्यक्ति औसतन 30 संभागियों हेतु प्रशिक्षण व्यवस्था निम्न प्रकार की जाए एवं शेष \* राशि 1200 रु में से छँडक स्तरीय संदर्भ व्यक्तियों के प्रशिक्षण का व्यय किया जाए।

$$30 \text{ संभागियों के लिए प्रावधित राशि} = 15000/-$$

$$\text{PEEO / UCEEO प्रशिक्षण— संभागी } \times \text{ दिन } \times \text{ दर}$$

$$30 \times 2 \times 230 = 13,800/-$$

क्र.सं.	विवरण	कुल दिवस	दर प्रतिदिन	इकाई	30 संभागियों पर व्यय
1	भोजन एवं किराये का संभागियों को नकद मुगतान(वास्तविक)	2	140	30	8400
2	जलपान (चाय—नाश्ता)	2	40	30	2400
3	दक्ष प्रशिक्षक मानदेय (प्रत्येक PEEO / UCEEO नोडल विद्यालय पर अधिकतम 2 दक्ष प्रशिक्षक)	2	400	2	1600
4	विविध व्यय, बैठक व्यवस्था, तफाई, पानी, कश, दरी, फोटोग्राफी, स्टेशनरी इत्यादि	2	550	-	1100
5	व्यवस्थापक को मानदेय	2	150	1	300
	योग				13800
	शेष*				1200
	महायोग				15000

Signature valid

14 RajKaj Ref  
7517104

Digitally signed by Suresh Kumar  
Bunker  
Designation : Additional State Project  
Director  
Date: 2024.06.04 17:06 IST  
Reason: Approved

- प्रशिक्षण में भाग लेने वाले एसएमसी/एसडीएमसी सदस्यों एवं जनप्रतिनिधि को देय नकद भुगतान का घिल निम्न प्रारूप में संबंधित विद्यालय प्रबंधन समिति/विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति के प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य से प्रमाणित करायें।
- आयोजन हेतु किए गए व्यय का भुगतान अनिवार्य रूप से चैक अथवा बैंक खाते में किया जाये।

### प्रपत्र

PEEO/UCEEEO का नाम :

प्रशिक्षण दिनांक :

क्र. सं.	विद्यालय प्रबंधन समिति /विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति का नाम	उपस्थित सदस्य का नाम	उपस्थित दिनों की संख्या	देय नकद राशि	एसएमसी/एसडीएमसी सदस्य के हस्ताक्षर	संबंधित एसएमसी/एसडीएमसी के प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणीकरणकर्ता के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7
1						

- प्रशिक्षण अवलोकन प्रपत्र परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

### सामुदायिक गतिशीलता गतिविधि टाईम लाइन चार्ट 2024-25

S.N 0	Activity	Jul 24	Aug 24	Sep 24	Oct 24	Nov 24	Dec 24	Jan 25	Feb 25	Mar 25
1	मुख्य संदर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षण	✓								
2	एसएमसी/एसडीएमसी प्रशिक्षण हेतु PEEO/UCEEEO वार कार्य योजना निर्माण	✓								
3	संदर्भ व्यक्तियों का प्रशिक्षण		✓							
4	एसएमसी/एसडीएमसी सदस्यों का PEEO/UCEEEO विद्यालय स्तर पर प्रशिक्षण			✓	✓					
5	प्रगति की समीक्षा एवं व्यय समायोजन					✓				

अति महत्वपूर्ण नोट— एसएमसी/एसडीएमसी सदस्यों का PEEO/UCEEEO स्तर पर दो दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन अक्टूबर, 2024 तक कर नवम्बर, 2024 तक शत प्रतिशत प्रबन्ध पोर्टल पर व्यय की प्रविष्टि करना सुनिश्चित करें।

### लेखा स्तर पर उल्लेखनीय बिन्दु :-

- जिस मद के लिए राशि उपलब्ध कराई जा रही है व्यय उसी मद में ही किया जाये।
- व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण—पत्र निर्धारित प्रपत्र में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

Signature valid

15 RajKaj Ref  
7517104

Digitaly signed by Suresh Kumar  
Bunker  
Designation : Additional State Project  
Director  
Date: 2024-06-04 17:17:06 IST  
Reason: Approved

3. राशि का उपयोग योजना के दिशा—निर्देशों, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की गाईड लाइन एवं लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

(सुरेश कुमार बुनकर)

अति. राज्य परियोजना निदेशक—द्वितीय

क्रमांक : रास्कृशिप / जय / ज्ञामुगति / SMC-SDMC / दिशा—निर्देश / 2024-25 / 1374 दिनांक : 5/6/2024

प्रतिलिपि :-निम्न को सूचनार्थ प्रस्तुत है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक, प्रारम्भिक / माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
6. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक, (I & II) राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
7. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
8. उपायुक्त (प्लान), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
9. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, समस्त जिला।
10. ज्ञानिक जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिला।
11. राष्ट्रीय पत्रावली।

अति. राज्य परियोजना निदेशक—द्वितीय

16 RajKaj Ref  
7517104

Signature valid

Digitally signed by Suresh Kumar  
Bunker  
Designation : Additional State Project  
Director  
Date: 2024.06.04 10:17:06 IST  
Reason: Approved

**COMMUNITY MOBILISATION**  
**SMC/PRI Training**

**Proposed Physical and Financial Target of Districts 2024-25**

S. No.	District	Total identified School (according Plan) SMC Training	Total identified (according Plan) SMC Training members (per school*6)	Two Day Training at Nodal Level	
				Target	
				Phy.	Fin. (in lacs)
1	Ajmer	1264	7584	7584	37.92
2	Alwar	1966	11796	11796	58.98
3	Banswara	2806	16836	16836	84.18
4	Baran	1262	7572	7572	37.86
5	Barmer	3908	23448	23448	117.24
6	Bharatpur	1190	7140	7140	35.7
7	Bhilwara	2276	13656	13656	68.28
8	Bikaner	1549	9294	9294	46.47
9	Bundi	976	5856	5856	29.28
10	Chittaurgarh	1389	8334	8334	41.67
11	Churu	857	5142	5142	25.71
12	Dausa	1145	6870	6870	34.35
13	Dhaulpur	837	5022	5022	25.11
14	Dungarpur	2284	13704	13704	68.52
15	Ganganagar	1441	8646	8646	43.23
16	Hanumangarh	680	4080	4080	20.4
17	Jaipur	2671	16026	16026	80.13
18	Jaisalmer	1065	6390	6390	31.95
19	Jalor	1434	8604	8604	43.02
20	Jhalawar	1353	8118	8118	40.59
21	Jhunjhunu	998	5988	5988	29.94
22	Jodhpur	2784	16704	16704	83.52
23	Karauli	1101	6606	6606	33.03
24	Kota	768	4608	4608	23.04
25	Nagaur	2233	13398	13398	66.99
26	Pali	1292	7752	7752	38.76
27	Pratapgarh	1462	8772	8772	43.86
28	Rajsamand	1377	8262	8262	41.31
29	Sawai Madhopur	772	4632	4632	23.16
30	Sikar	1336	8016	8016	40.08
31	Sirohi	733	4398	4398	21.99
32	Tonk	1142	6852	6852	34.26
33	Udaipur	3626	21756	21756	108.78
<b>Total</b>		<b>51977</b>	<b>311862</b>	<b>311862</b>	<b>1559.31</b>

**Signature valid**

17 RajKaj Ref  
7517104

Digitally signed by Suresh Kumar  
Bunker  
Designation : Additional State Project  
Director  
Date: 2024.06.04 17:06 IST  
Reason: Approved

**COMMUNITY MOBILISATION**  
**SDMC Training**

**Proposed Physical and Financial Target of Districts 2024-25**

S. No.	District	Total identified School(according Plan) SDMC Training	Total identified (according Plan) SDMC Training members (per school*6)	Two Day Training at Nodal Level	
				Target	Fin. (in Lacs)
1	Ajmer	613	3678	3678	18.39
2	Alwar	886	5316	5316	26.58
3	Banswara	521	3126	3126	15.63
4	Baran	331	1986	1986	9.93
5	Banner	958	5748	5748	28.74
6	Bharatpur	593	3558	3558	17.79
7	Bhilwara	631	3786	3786	18.93
8	Bikaner	375	3450	3450	17.25
9	Bundi	291	1746	1746	8.73
10	Chittaurgarh	439	2634	2634	13.17
11	Churu	592	3552	3552	17.76
12	Dausa	439	2634	2634	13.17
13	Dhauhpur	306	1836	1836	9.18
14	Dungarpur	453	2718	2718	13.59
15	Ganganagar	513	3078	3078	15.39
16	Hanumangarh	434	2604	2604	13.02
17	Jaipur	1121	6726	6726	33.63
18	Jaisalmer	252	1512	1512	7.56
19	Jalor	449	2694	2694	13.47
20	Jhalawar	341	2046	2046	10.23
21	Jhanjhunu	557	3342	3342	16.71
22	Jodhpur	851	5106	5106	25.53
23	Karauli	357	2142	2142	10.71
24	Kota	331	1986	1986	9.93
25	Nagaur	855	5130	5130	25.65
26	Pali	558	3348	3348	16.74
27	Pratapgarh	278	1668	1668	8.34
28	Rajsamand	363	2178	2178	10.89
29	Sawai Madhopur	334	2004	2004	10.02
30	Sikar	684	4104	4104	20.52
31	Sirohi	278	1668	1668	8.34
32	Tonk	376	2256	2256	11.28
33	Udaipur	864	5184	5184	25.92
<b>Total</b>		<b>17424</b>	<b>104544</b>	<b>104544</b>	<b>522.72</b>

**Signature valid**

18 RajKaj Ref  
7517104

Digitally signed by Suresh Kumar Bunker  
Designation : Additional State Project Director  
Date: 2024.06.04 17:06 IST  
Reason: Approved

**एसएमसी / एसडीएमसी सदस्य प्रशिक्षण अवलोकन प्रपत्र 2024-25**

1. अवलोकनकर्ता का नाम :- ..... पद .....  
मो.न.
2. पदस्थापन रथान :- .....  
मो.न.
3. अवलोकन की तिथि एवं समय .....  
मो.न.
4. प्रशिक्षण आयोजक PEEO/UCEEEO विद्यालय का नाम :-  
मो.न.
5. PEEO/UCEEEO संस्था प्रधान का नाम .....  
मो.न.
6. PEEO/UCEEEO के अधीन विद्यालयों की संख्या :- .....  
ब्लॉक :- ..... ज़िला .....  
मो.न.
7. प्रशिक्षण दिनांक :- .....  
मो.न.
7. प्रशिक्षण देने वाले संदर्भ व्यक्ति :-  
 (अ) नाम :- ..... पद :- ..... पदस्थापन रथान :- ..... मो.न.  
 (ब) नाम :- ..... पद :- ..... पदस्थापन रथान :- ..... मो.न.  
 8. कुल पंजीकृत संभागी :- ..... पुरुष ..... महिला ..... योग .....  
मो.न.
9. प्रशिक्षण स्थल पर उपरिथित संभागीगण :-  
 (अ) जनप्रतिनिधि (PRI):- ..... पुरुष ..... महिला ..... योग .....  
 (ब) अभिभावक सदस्य :- ..... पुरुष ..... महिला ..... योग .....  
 (स) मनोनीत सदस्य :- ..... पुरुष ..... महिला ..... योग .....  
 (द) संस्था प्रधान (सचिव) ..... पुरुष ..... महिला ..... योग .....  
 (य) शिक्षक सदस्य :- ..... पुरुष ..... महिला ..... योग .....  
योग :- ..... पुरुष ..... महिला ..... योग .....  
मो.न.
10. संभागियों की बैठक व्यवस्था :- .....  
मो.न.
11. मौद्द्यूल की उपलब्धता :- .....  
मो.न.
12. अवलोकन के समय मौद्द्यूल के किस विषय पर छव्वों हो रही थी :- .....  
मो.न.
13. संदर्भ व्यक्तियों के प्रशिक्षण देने का रत्तर :- .....  
मो.न.
14. प्रशिक्षण के सम्बन्ध में संभागियों के विचार :- .....  
मो.न.
15. प्रशिक्षण व्यवस्था सुधारने में तत्काल दिये गये निर्देश :- .....  
मो.न.
16. प्रशिक्षण व्यवस्था के सम्बन्ध में अवलोकनकर्ता की टिप्पणी / सुझाव :- .....  
मो.न.

प्रशिक्षण आयोजक PEEO/UCEEEO प्रभारी के  
हस्ताक्षर (मय सील)

हस्ताक्षर अवलोकनकर्ता  
दिनांक :-

| 9 RajKaj Ref  
7517104

**Signature valid**

Digitally signed by Suresh Kumar  
Bunker  
Designation : Additional State Project  
Director  
Date: 2024.06.04 17:06 IST  
Reason: Approved